# न्यायालय अंचल अधिकारी,गिद्धौर (चतरा)।

## विविध वाद सं0–01/23–24

## जयराम यादव बनाम टेको महतो एवं अन्य

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 22.6.23 | आदेश<br><br>प्रस्तुत वाद श्री जयराम यादव पिता–स्व0 भुलन यादव ग्राम द्वारी, टोला इंदरा, थाना–गिद्धौर, जिला–चतरा के आवेदन पर प्रारंभ किया गया। जयराम यादव ने आवेदन दिया है कि ग्राम–द्वारी, थाना–गिद्धौर के खाता सं0–02, प्लॉट सं0–64, रकबा–1.76 ए0 को नजायज तरिके से श्री टेको यादव पिता–स्व0 रूपलाल यादव एवं अन्य के द्वारा हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर आवेदित भूमि से संबंधित कागजात की मांग गई एवं अपना–अपना पक्ष रखने को कहा गया। प्रथम पक्ष द्वारा निम्नलिखित कागजात जमा किया गया है:–<br>1. मैनेजर वार्डस एण्ड ईनकमंडस स्टेटस हजारीबाग द्वारा सोहन माहतो पिता–टेको महतो मौजा द्वारी के नाम से दिया गया हुकुमनामा सं0–1604/1943 –01प्रति।<br>2 हुकुमनामा का पैमाइस रिर्पोट एक प्रति।<br>3. जमींदारी रसीद 03 प्रति।<br>4. सरकारी रसीद वर्ष–1955–56 से 2010–11 तक के बीच का 21 प्रति।<br>5. पंजी–2 के सत्यापित प्रति।<br>6. दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा–144 के आदेश के नकल के छाया प्रति।<br>7. हल्का कर्मचारी के प्रतिवेदन के छाया प्रति।<br>8. अंचल कार्यालय, ईठखोरी के विविध वाद सं0–16/83–84 के आदेश के छाया प्रति।<br>9. गिद्धौर थाना सं0–4/2008 का धारा–144 का पुलिस प्रतिवेदन की छाया प्रति दिया गया।<br>द्वितीय पक्ष की ओर से त्रिभुवन यादव के द्वारा निम्नलिखत कागजात की छाया प्रति जमा किया गया है:–<br>1. ग्राम द्वारी पंजी–2 के पृष्ठ सं0–171 की छाया प्रति एवं जमींदारी हुकुनामा की छाया प्रति | |

Scanned with OKEN Scanner

2. जमींदारी रसीद की छाया प्रति 02
3. सरकारी रसीद की छाया प्रति 13
4. ग्राम द्वारी के पंजी 2 की पृष्ठ सं0–105, 165 की छाया प्रति।
5. विपक्षी का हुकुमनामा एवं जमींदारी रसीद।
6. क्रिमनल रिविजन नं0–13/2009 जिला एवं सत्यनयायाधिस चतरा के न्यायालय पारित के नकल की छाया प्रति।
7. द0प0स0 धारा–144 के विविध वाद सं0–45/2008 के पारित के आदेश की छाया प्रति दिया गया।

उभय पक्षों का प्रस्तुत कागजात को देखा एवं पाया कि वाद से संबंधित प्रश्नगत भूमि ग्राम द्वारी, थाना–गिद्धौर के खाता सं0–02 प्लॉट सं0–164 रकबा–1.76 ए0 से संबंधित है खतियान के अनुसार यह गैरमजरूआ खास खाते की है जिसका कुल रकबा–53.00 ए0 है। इस प्लॉट में प्रथम पक्ष को 1.76 ए0 भूमि मैनेजर वार्डस एण्ड ईनकमंडस स्टेटस हजारीबाग से प्राप्त है, जिसमें चौहदी उ0 द0 परती कदीम पु0 भीखो महतो प0 जंगल झाड़ी दर्ज है। द्वितीय पक्ष को भी प्लॉट सं0–64 में 5.05 ए0 भूमि मैनेजर वार्डस एण्ड ईनकमंडस स्टेटस हजारीबाग बंदोबस्ती से प्राप्त है। जिसकी चौहदी उ0 द0 परती कदीम पु0 टाड़ प0 टांड परती कदीम। उभय पक्षों के चौहदी एक ही है। प्रथम पक्ष द्वारा प्रस्तुत लगान रसीद से स्पष्ट है कि 1.84 ए0 का लगान 1.80 रू0 है, इसी प्रकार दूसरे पक्ष से प्रस्तुत लगान रसीद से स्पष्ट है कि 5.05 ए0 का लगान 5.05 रू0 दर्ज है। दोनों उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत हुकुमनामा में जमीन की दर्जा टांड 3 दिया गया है, जो उस समय टांड 03 भूमि के प्रचलित लगान दर से काफी अधिक है। प्रथम पक्ष द्वारा प्रस्तुत पंजी–2 सोहन पिता टेको महतो के नाम से है, जिसमे खाता सं0–186/395 एवं 2 रकबा 1.84 ए0 दर्ज है। लगान वर्ष 1973–74 से 2010–11 तक लगान वसुली दर्ज है। विविध केश सं0–16/1983–84 के अनुसार रसीद निर्गत किया गया ऐसा परिवर्तन के प्राधिकार कॉलम में दर्ज है। द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत पंजी 2 के अवलोकन से पता चलता है कि ग्राम द्वारी के पंजी–2 के पृष्ठ सं0–171 पर चेतो महतो पिता–भिखों महतो के नाम से खाता सं0–02, प्लॉट सं0–64 रकबा–5.05 ए0 लगान 5.05 रू0 दर्ज है। परिवर्तन के प्राधिकार कॉलम में पेज सं0–285 से आया दर्ज है तथा रसीद सं0–4232840 दिनांक–15.05.1988 देखा सही पाया लिखा हुआ है। रैयत का नाम एवं

Scanned with OKEN Scanner

प्लॉट सं0 पर ऑभर राइटिंग किया हुआ है। अंचल अधिकारी ईटखोरी के विविध वाद सं0–16/1983–84 में सोहन महतो पिता–टेको महतो के नाम से ग्राम द्वारी के पेज सं0–105 भॉलूम सं0–103 पर चल रही जमाबंदी को नियमित कर रसीद काटने का आदेश निर्गत किया गया है। द0प0स0 की धारा–144 वाद सं0–124/2008 में प्रथम पक्ष जयराम यादव के पक्ष में वाद को रिक्त किया गया है। माननीय सत्र न्यायाधिश, चतरा के क्रिमनल रिविजन केश सं0–13/09 टेको यादव एवं अन्य बनाम जयराम यादव एवं झरखण्ड सरकार में माननीय सत्र न्याधीश द्वारा आदेश दिया गया है कि अनुमण्डल पदाधिकारी, चतरा द्वारा केस0–124/08 द्वारा पारित आदेश को भविष्य में कोई न्यायालय Prejudiced नही करेगा। उभय पक्षों के द्वारा प्रस्तुत कागजातों से स्पष्ट है कि एक ही चौहदी में उभय पक्षों का रसीद कटने से भूमि पर विवाद है। दोनों पक्ष की जमाबंदी लम्बे अरसे से चल रही है। लम्बे समय से चल रही जमाबंदी का संक्षिप्त सुनवाई में निस्तारण नहीं किया जा सकता है। लम्बे अरसे चली आ रही जमाबंदी के संदर्भ में कई मामलों में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय का आदेश स्पष्ट है कि It has been repeatedly held that a long running Jamabandi cannot be cancelled unless there is any such decree/order of a competent Court or it is established in any legal proceeding that the Jamabandi was created by playing fraud by the Raiyat or the creation of such Jamabandi was vitiated in law (Dineshwar Prasad vs State of Jharkhand And Ors).

अतः प्रस्तुत मामला स्वत्व से संबंधित है,जिसका निस्तारण सक्ष्म न्यायालय से ही हो सकता है। उभय पक्ष को भूमि पर यथास्थिति बनाये रखने के निदेश के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी,
चतरा

अंचल अधिकारी,
चतरा

Digitally signed by RAHUL DEO
Date: 2024.08.16 13:37:42 +05:30
Location: 192.168.31.75

Scanned with OKEN Scanner